

निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार

श्री के.आर.चौहान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(RAS) देवगढ़
केम्प देवगढ़

सं 296 / 2016 प्रा.पत्र

निर्णय दिनांक 20.06.2018

अनवान

1. श्री लक्ष्मण पिता मांगी माली नि. देवगढ़ त. देवगढ़ जि. राजसमंद
2. श्री डालु पिता जोधा माली नि. देवगढ़ त. देवगढ़ जि. राजसमंद

.....प्रार्थीगण

बनाम

- श्री उम्मेद पिता दीपा माली नि. देवगढ़ त. देवगढ़ जि. राजसमंद
- श्री कस्तुर पिता दीपा माली नि. देवगढ़ त. देवगढ़ जि. राजसमंद
- श्री धुला पिता पेमा माली नि. देवगढ़ त. देवगढ़ जि. राजसमंद
- श्री कालू पिता रामा माली नि. देवगढ़ त. देवगढ़ जि. राजसमंद

....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राज. ले. रे. एक्ट

पत्रवाली आज दिनांक 20.06.2018 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प देवगढ़ में पेश हुई। पक्षकारान को जारी सम्मन तामील हो शामिल पत्रावली हैं। पक्षकारान उपस्थित रहे हैं। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का आवलोकन किया गया तथा इस का विवरण इस प्रकार है।

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देवगढ़ प.ह. देवगढ़ त.देवगढ़ में उसकी कृषि भूमि स्थित हैं। जिसके खाता सं. 1 आराजी सं. 3900 रकबा 0.11 कुल किता 1 कुल रकबा 0.11 बीघा भूमि स्थित है। उक्त वर्णित भूमि की प्रार्थीगण ने अभी तक पत्थरगढी नहीं करवाई हैं। मौके पर पक्की पत्थर की दीवार अथवा सीमा चिन्ह नहीं होने से प्रार्थीगण व पड़ोसी के बीच सीमा सम्बंधी विवाद बना रहता है। हर समय फसल बुवाई तथा कटाई के सीमा सम्बंधित विवाद करते रहते हैं, जिससे प्रार्थीगण को अनावश्यक मुकदमें बाजी के लिये विवश होना पड़ता हैं। मौके पर अशांति कायम रहती हैं। जिससे प्रार्थीगण उसकी भूमिका शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग काश्त वगैरह नहीं कर पा रहा हैं, यदि पक्षकारान की उक्त वर्णित भूमि की बादनपती पत्थरगढी हो जाती है तो इस समस्या का हमेशा हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा तथा पक्षकारान उसकी भूमिका का शान्तिपूर्वक काश्त उपयोग उपभोग वगैरह कर सकेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर पक्षकारान की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रार्थीगण का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। तत्पश्चात प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प देवगढ़ में नियत कर। पक्षकारान को पुनः सूचना पत्र जारी किये गये। यदि पक्षकारान की उक्त वर्णित भूमि की नपती पत्थरगढी हो जाती हैं तो इस समस्या का स्थाई समाधान हो जायेगा।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। कि ग्राम देवगढ़ प.ह. देवगढ़ त.देवगढ़ की नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 में पक्षकारान उक्त वर्णित भूमि के खातेदार हैं। खातेदार उसके खाते की भूमि की पत्थरगढी करा सकता हैं।


सहायक कलेक्टर

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा पक्षकारान की खातेदारी भूमि जो कि ग्राम देवगढ़ प.ह. देवगढ़ त.देवगढ़ में उसकी कृषि भूमि स्थित है। जिसके खाता सं. 1 आराजी सं. 3900 रकबा 0.11 कुल किता 1 कुल रकबा 0.11 बीघा भूमि पर पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे की प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा पक्षकारान को सूचित करा मौके पर पत्थरगढ़ी की जाकर रिपोर्ट पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार को नम्बर से कम की जावें। निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प देवगढ़ में मजमे आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम कि जावें।


सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमंद